संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक एफ : 01–02/2022/विज्ञप्त/2605, रायपुर, दिनांकः 9/11/2022

<u>अनुबंध अनुसार पदस्थापना उपरांत पदांकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अंतिम अवसर प्रदाय करने के संबंध में सूचना (एम.बी.बी.एस. छात्र/चिकित्सक)</u>

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन द्वारा प्राधिकार से प्रकाशित छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), जो छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम से संबंधित है। जिसके कंडिका 10 के तहत एमबीबीएस प्रवेश के समय निष्पादित अनुबंध अनुसार संबंधित चिकित्सा अधिकारी को संविदा आधार पर दो वर्ष की कालावधि तक शासकीय सेवा करना अनिवार्य है। जिसमें तारतम्य में शासन के आदेशों के माध्यम से संविदा आधार पर 02 वर्ष हेतु पदांकित किया गया था। शासन आदेशों के संविदा नियुक्ति की शर्तें की कंडिका 11 अनुसार संबंधित चिकित्सा अधिकारी को पदांकन स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य था। संबंधित जिले के नियंत्रणकर्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त पदस्थापना स्थल में आज दिनांक तक उपस्थिति नहीं दी गई है।

2/ संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मध्य बंधपत्र निष्पादित किया गया है, जिसके अनुसार 02 वर्ष की ग्रामीण सेवा या बॉड की राशि जमा किया जाना था परंतु संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा न ही 02 वर्ष ग्रामीण सेवा हेतु अपने पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति दी गई है और न ही बॉड की राशि जमा की गई है।

3/ निर्देशानुसार आप उक्त पदस्थापना स्थान में पत्र जारी होने के दिनांक से 05 दिवस के भीतर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

<u>यदि संबंधित चिकित्सा अधिकारी के द्वारा निर्धारित समय सीमा में पदांकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन द्वारा प्राधिकार से प्रकाशित छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), जो छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम के कंडिका 10 की उप कंडिका (10) के अनुसार नियम 10(1) का अनुपालन नहीं करने के लिए बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही भू–राजस्व की बकाया राशि के रूप में उपरोक्त उपनियम (6) के अनुसार की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को नियम 10(7) में यथा उल्लेखित अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किए जाएगा, जब तक कि सम्पूर्ण देय राशि की वसूली नहीं हो जाती।</u>

उपरोक्तानुसार पदस्थापना स्थान में पत्र जारी होने के दिनांक से 05 दिवस के भीतर उपस्थित नहीं होने पर समस्त कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अतः उपरोक्त सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभागीय वेबसाईट *www.cghealth.nic.in* से अवलोकन किया जा सकता है।

<u>संचालक, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।</u>

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं